

एनजीओ/निजी संगठनों द्वारा एजीपी योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र.

कृपया निम्नलिखित फॉर्म को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम (ईवेंट) शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले विधिवत रूप से भरकर जमा करें-

सामान्य जानकारी:

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	संगठन का नाम	
2.	दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुभव सहित संगठन के बारे में संक्षिप्त जानकारी (50 शब्दों से अधिक नहीं)	
3.	कार्यक्रम (ईवेंट) की तिथि एवं अवधि (जैसे 1/2 दिन/पूरा दिन, दिनों की संख्या आदि)	
4.	आयोजन स्थल का नाम (ग्रामीण/शहरी/ आकांक्षी जिला/ब्लॉक)	ग्रामीण ☐ शहरी ☐ आकांक्षी जिला/ब्लॉक ☐
5.	कार्यक्रम (ईवेंट) के लिए अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त की गई है या नहीं, यदि हाँ, तो उस संगठन का नाम	
6.	एनजीओ दर्पण पोर्टल पंजीकरण संख्या। (एनजीओ के लिए)	
7.	कोई अन्य पंजीकरण संख्या (एनजीओ को छोड़कर)	
8.	नोडल व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर	
9.	संगठन के अंतर्गत कार्यरत सदस्यों की संख्या	
10.	कार्यक्रम (ईवेंट) का प्रकार	सेमिनार ☐ रैली ☐ कार्यशाला ☐ सांस्कृतिक कार्यक्रम ☐ अभिभावकों की बैठक ☐ अन्य ☐ निर्दिष्ट करें-----
11.	कार्यक्रम (ईवेंट) का उद्देश्य (30 शब्दों में)	
12.	गतिविधियों का विवरण	
13.	लक्षित दर्शक/लाभार्थी का प्रकार	दिव्यांगजन ☐ देखभालकर्ता ☐ कोई अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें) -----

14.	इस कार्यक्रम (ईवेंट) से दिव्यांगजनों को होने वाले अपेक्षित लाभ (50 शब्दों में)	
15.	प्रतिभागियों की संभावित संख्या	
16.	संगठन को पूर्व में जारी अनुदानों के निपटान की स्थिति। यदि निपटान नहीं हुआ है, तो कारण बताएँ।	
21.	पिछले 3 वर्षों में आयोजित इसी प्रकार के कार्यक्रमों (ईवेंट) का विवरण, यदि कोई हो	

मदवार अपेक्षित निधि:

क्रम सं.	मद	प्रति यूनिट दर (रुपये में)	मात्रा	कुल लागत (रु. में)
1.	स्थल (कुल वर्ग फुट / मीटर) (स्टेज सजावट और अन्य आवश्यकताओं सहित)			
2.	जलपान			
3.	प्रचार सामग्री जिसमें बैनर आदि शामिल हैं।			
4.	परिवहन सेवा (यदि आवश्यक हो)			
5.	रिसोर्स पर्सन के लिए मानदेय *			
	रिसोर्स पर्सन का टीए/डीए, यदि उचित हो			
	रिसोर्स पर्सन को अपनी विशेषज्ञता और क्षेत्र/फील्ड तथा अपने संसाधनों का उपयोग न करने के कारणों का विवरण देना होगा।			
6.	सांकेतिक भाषा दुभाषिया के लिए मानदेय, यदि आवश्यक हो			
7.	कोई अन्य मद/आवश्यकताएँ (विवरण प्रदान करें)			
8.	विविध एवं आकस्मिक (कुल व्यय का 5%)			
	कुल			

* रिसोर्स पर्सन को स्थानीय/कार्यक्रम स्थल के निकटवर्ती होना चाहिए।

नोट: यह प्रस्ताव केवल संगठन/संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित होना चाहिए।

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम:

मुहर:

ठोस अनुपालन के लिए बिंदु

- i . जीएसटी (जहाँ लागू हो) के साथ बिल और वाउचर अनिवार्य हैं। सभी व्यय दावों में प्रचलित बाजार दरें प्रतिबिंबित होनी चाहिए।
- ii. जांच समिति द्वारा अनुशंसित अधिकतम राशि का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- iii. प्रतिभागी मुख्यतः स्थानीय निवासी होना चाहिए, तथा पिछले कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए।
- iv. स्थानीय दिव्यांगजन कलाकारों, सोशल मीडिया प्रभावितों और दिव्यांगजन एंकरों को यथासंभव अधिकतम शामिल किया जाएगा।
- v. जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों के लिए, जागरूकता सामग्री/पीपीटी को कार्यक्रम (ईवेंट) से पहले विभाग के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- vi. संगठन/संस्थान को निर्धारित कार्यक्रम से कम से कम एक दिन पहले विभाग को सूचित करना होगा। विभाग कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकता है ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके और एजीपी योजना के तहत इस प्रस्ताव में किए गए दावों का सत्यापन किया जा सके।
- vii. इस कार्यक्रम के सफल समापन पर, एक विस्तृत रिपोर्ट फोटो, वीडियो और मूल बिल/वाउचर के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- viii. कार्यक्रम (ईवेंट) की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ix. संगठन/संस्थान को यह वचन देना होगा कि प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली गई है।
